संख्या–5308/सत्तर–6–2009–2(548)/2009

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2009

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2213/सम्बद्धता/2009, दिनांक 24.12.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी एवं समाजशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित होने के दृष्टिगत आगामी तीन वर्षों तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाए।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–5308(1)/सत्तर–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2018 / (37) / 1458 दिनांक 30 / 05 / 2018

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य

विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति ने ***प्राचार्य अनुमोदन वांछित है, अद्यतन परीक्षाफल, नकलविहीन प्रमाण पत्र वांछित है, अद्यतन सी0ए0 रिपोर्ट वांछित है।*** निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त कमियों एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अनापत्ति आदेश सम्बन्धी पत्र में उल्लिखित कमियों/शर्तों का निराकरण/पूर्ति, महाविद्यालय द्वारा दिनांक 30 जून, 2018 तक कर लिया जायेगा, के शर्त के अधीन दिनांक 01.07.2018 से आगामी एक वर्ष हेतु तथा कमियों को पूर्ण करने के पश्चात स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है, अन्यथा की स्थिति में जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर **विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर** को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों यथा- ***प्राचार्य अनुमोदन वांछित है, अद्यतन परीक्षाफल, नकलविहीन प्रमाण पत्र वांछित है, अद्यतन सी0ए0 रिपोर्ट वांछित है।*** साथ ही अनापत्ति पत्र में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य / प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर– 2–2007–2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर–2–2008– 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों / महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश / शासनादेशों में दी गई व्यवस्था / निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. **महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**
14. **महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2016–17 एवं 2017–18 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**
15. **महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठाकंन संख्याः दीदउगोविवि / सम्बद्धता / 2018 / .....तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय / परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ। 6. **गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।**

कुलसचिव

संख्या–5311/सत्तर–6–2009–2(587)/2009

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2009

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2211/सम्बद्धता/2009, दिनांक 24.12.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. महाविद्यालय सामूहिक नकंल में आरोपित होने के दृष्टिगत आगामी तीन वर्षों तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाए।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–5311(1)/सत्तर–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2019/(मु–39)/ 1760 दिनांक : 30 / 04 /2019

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य, विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों की अस्थाई सम्बद्धता स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति तथा प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर परीक्षणोंपरान्त सम्बद्धता समिति द्वारा निम्न कमियां इंगित की गई– प्राचार्य का अनुमोदन वांछित है। अद्यतन परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाणपत्र वांछित है। –

समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने निरीक्षण मण्डल की आख्या में इंगित कमियों एवं महाविद्यालय द्वारा अन्य मानकानुसार अभिलेखों को पूर्ण करने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं मानकानुसार संकाय सदस्यों का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा करा लिए जाने के आधर पर शर्तों के अधीन विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में दो यूनिट (100 सीट) शैक्षिक सत्र 2019–2021 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है –

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों यथा– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति तथा प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर परीक्षणोंपरान्त सम्बद्धता समिति द्वारा निम्न कमियां इंगित की गई– प्राचार्य का अनुमोदन वांछित है। अद्यतन परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाणपत्र वांछित है। साथ ही अनापत्ति पत्र में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर– 2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा ए.आई.एस.एच.ई. 2017–18 एवं 2018–19 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठाकंन संख्या : दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2019 /.....तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1). प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद। (3). क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर। (4). अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर। (5). उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। (6). वैय0 सहायक कुलसचिव कार्यालय। (7). सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ। (8). गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

E:\SK 05-02-2015 (23-9-16)\6 Affiliation Committee Minutes & Notice\30-04-2019 BED\letter\30-04-2019 Letter - BED - merge m+v.docx

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 2746 /जी.एस.
दिनांकः 23/11/2005

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांकः ३१३–१४/सम्बद्धता/२००५ दिनांक १३–०८–२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास एवं अर्थशास्त्र विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैः–

१– संस्था उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१/सत्तर–२–२००३–१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि संस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– प्रबन्धक/प्राचार्य, विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर।

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

संख्या–5307/सत्तर–6–2009–2(547)/2009

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2009

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2212/सम्बद्धता/2009, दिनांक 24.12.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत गृहविज्ञान, भूगोल, चित्रकला एवं अंग्रेजी विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैं:–

1. महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित होने के दृष्टिगत आगामी तीन वर्षों तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाए।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–5307(1)/सत्तर–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।